

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

→ सूचना → प्रेरणा → सुविधा



सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

एक बहुआयामी कार्यक्रम है जो नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करता है ताकि उनकी जागरूकता और सहभागिता बढ़ाई जा सके। इसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपरेखा तथा राज्य के जनसांख्यिकीय आधार के अनुरूप होने के साथ-साथ पिछले निर्वाचनों में निर्वाचक सहभागिता के पूर्ववृत्त और उसके अध्ययन के अनुसार तैयार किया जाता है।

मूल आधार

विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ-साथ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता इस संस्था का केन्द्रीय कर्ता है। लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र, निष्पक्ष, नीतिपूरक और प्रत्येक नागरिक के प्रलोभन-रहित सहभागिता पर निर्भर करती है। अतः यह सबके लिए अत्यावश्यक हो जाता है कि हम न केवल इस अधिकार को समझें, अपितु सहज सहभागिता हेतु निर्वाचन प्रक्रिया को जाने ताकि सहज रूप से इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।





लक्ष्य निर्धारित करना

- ▶ वोटर पंजीकरण और मतदान बढ़ाना।
- ▶ नीतिपरक मतदान के अर्थों में गुणात्मक सहभागिता बढ़ाना।
- ▶ निर्वाचकीय और लोकतंत्र संबंधी शिक्षा।

कार्यप्रणाली की रूपरेखा
स्वीप मतदान के दो चरणों की
कमियों को दूर करने के लिए
डिजाइन किया गया है

1

मतदान—पूर्व चरण
(मतदाताओं का
पंजीकरण)

2

मतदान संबंधी चरण
(मतदान बढ़ाना)

इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जाता है

- ▶ स्थिति विश्लेषण (निर्वाचक जनसंख्या अनुपात, आयु-वर्ग, लिंग-अनुपात, KABBP सर्वेक्षण के माध्यम से)
- ▶ योजना और तैयारी (कार्य योजना की राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना, राज्य स्वीप योजनाओं की तैयारी करना, मतदान केंद्र पर आधारित जिला स्वीप योजना को तैयार करना, गतिविधियों का कलेन्डर तैयार करना, रचनात्मक सामग्री के लिए विषय-सूची का विकास करना, संसाधन का आवंटन, राज्य और जिला स्तर पर स्वीप कोर समिति की रचना, बूथ जागरूकता समूहों की रचनाएं राज्य और जिला स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों का प्रशिक्षण)
- ▶ भागीदारी और सहयोग (शैक्षणिक संस्थान सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी संगठन, कॉर्पोरेट हाउसेस तथा स्वयं सेवकों के समूह)
- ▶ कार्यान्वयन (सूचना-प्रेरणा-सुविधा जन जागरूकता, समावेशन, लक्षित इंटरवेशन, विशिष्ट नवीन प्रक्रियाएं)
- ▶ निगरानी और मूल्यांकन (रिपोर्टिंग, KABBP सर्वे, फीडबैक, प्रलेखन)



कार्य योजना

स्वीप तीन-आयामी कार्यनीति पर कार्य करता है

सूचना

पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में 'क्या' 'कब' 'कहाँ' और 'कैसे' के बारे में सूचना देना।



प्रेरणा

लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना और मतदान से संबंधित जिज्ञासा का जवाब देना।



सुविधा

सुविधा सेवाएं प्रदान करना और पंजीकरण तथा मतदान को और सुलभ, आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

स्थिति और कमी विश्लेषण के माध्यम से किसी क्षेत्र में पिछले निर्वाचकीय चक्र के दौरान निर्वाचक सहभागिता का आंकलन करने के पश्चात् स्वीप योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तथा जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से कार्यान्वित कराई जाती हैं। इसके पश्चात् लक्षित इंटरवेंशनों को कार्यान्वित किया जाता है और भागीदारी तथा सहयोग से प्रयासों को सशक्त बनाया जाता है। कड़ी निगरानी तथा समीक्षा तंत्र के प्रयोग से प्रगति का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रलेखन व अध्ययन किया जाता है।

जिम्मेदारियां साझा करना

राष्ट्रीय स्तर

भारत निर्वाचन आयोग में स्वीप प्रभाग मतदान शिक्षा पर नीतियां बनाता है, स्वीप कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर रूपरेखा निर्धारित करता है, योजनाएं बनाता है और कार्यान्वयन संबंधी कार्यों की निगरानी करता है। मतदाता, सिविल सोसाइटी समूहों, मीडिया तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा लगातार संवाद बनाए रखता है।

राज्य स्तर

प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एक अधिकारी को स्वीप कार्यक्रम का प्रभार सौंपा जाता है। सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों तथा सिविल सोसाइटी समूहों के साथ राज्य की स्वीप कोर कमेटी बनायी जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों के दौरान स्वीप कार्यों के निगरानी हेतु जागरूकता प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

जिला स्तर

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जो जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिला निर्वाचन अधिकारी (डी ई ओ) के रूप में निर्वाचन प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाता है। जिले में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने हेतु जिला स्वीप समिति का गठन किया जाता है। जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि आधिकांशतः अपर जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिला स्वीप समिति का नेतृत्व करता है।

बूथ स्तर

बूथ स्तर अधिकारियों को सामान्यतः बी एल ओ के नाम से जाना जाता है जो एक या दो मतदान केन्द्र कवर करते हैं और जो त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। किसी विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के संरक्षक, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, लोगों की सहभागिता को सरल बनाने तथा सूचना के प्रचार प्रसार के लिए सिविल सोसाइटी सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ बूथ स्तर पर बूथ जागरूकता समूहों का निर्माण किया जाता है।



Be a Voter
And
Be a part of
Country

VOTE INDIA
VOTE

मतदाता जागरूकता संदेश के साथ छात्र, अरुणाचल प्रदेश

स्वीप 1 (2009–2013)

मतदाताओं के रूप में नागरिकों के पंजीकरण में कमी तथा निर्वाचन मतदान की प्रत्यक्ष कमी से स्वीप की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। भारत में राष्ट्रीय निर्वाचनों में मतदान ऐतिहासिक रूप से 50–60 प्रतिशत के आस-पास रूक गया था। वर्ष 2009 में आई ई सी इंटरवेशन के नाम से एक छोटी सी प्रयोगात्मक शुरुआत की गई जिसे वर्ष 2010 में संशोधित करके इसका वर्तमान नाम दिया गया। स्वीप 1 वर्ष 2009 के अंत से शुरू होकर मार्च 2013 तक मोटे तौर पर रहा और इस दौरान राज्य विधान सभाओं के 17 साधारण निर्वाचन और निर्वाचक नामावलियों के तीन संशोधन किए गए।

स्वीप 2 (2013–2014)

स्वीप के नये प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तथा उन्हें सशक्त करते हुए, स्वीप 2 चरण में विभिन्न कमियों को दूर करने की दिशा में एक लक्षित दृष्टिकोण हेतु एक योजनाबद्ध कार्यनीति शामिल की गई। इसमें न्यूनतम मतदान वाले 10 प्रतिशत मतदान केन्द्रों की पहचान कर, मतदान केन्द्रवार स्थिति का विश्लेषण, मतदान केन्द्रवार क्रियान्वयन के साथ-साथ नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन तथा निगरानी की गई। इसमें नव साक्षर तथा निरक्षर समूहों के लिए विषयपरक विकास को भी शामिल किया गया। इस दौर में मतदान केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खास जोर दिया गया। लोक सभा चुनाव 2014 में ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत एक मील का पत्थर साबित हुआ।

स्वीप 3 (2015–वर्तमान)

लोकसभा के ऐतिहासिक साधारण निर्वाचन 2014 से सीख प्राप्त करने के पश्चात, स्वीप के तृतीय चरण के लिए और अधिक मजबूत एवं गहरी योजना बनाई गई। निर्वाचन शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना तथा सह-पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम में शामिल करना स्वीप 3 के मुख्य अंगों में से एक हैं। महिलाओं, युवाओं, शहरी मतदाताओं तथा मार्जिनल समूहों को लक्षित किए जाने के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं (जो डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करते हैं) अनिवासी भारतीयों, निःशक्त व्यक्तियों, भावी मतदाताओं पर फोकस है। यह कार्यक्रम शिक्षा एवं संचार अवधारणाओं पर जोर देता है। सोशल मीडिया, ऑनलाईन प्रतियोगिता तथा मतदाता महोत्सव के माध्यम से नागरिकों के साथ व्यापक वार्तालाप एवं आउटरीच, इस चरण का महत्वपूर्ण भाग है। साझेदारियों को बढ़ाना, साझेदारों के साथ अधिक से अधिक तालमेल स्थापित करना, माइक्रो सर्वेक्षण स्वीप 3 कार्यक्रम के अन्य मुख्य पहलू हैं।



मतदाता जागरूकता पर 3डी मूर्तिकला, कर्नाटक

फोकस बढ़ाना

मताधिकार सभी नागरिकों को समान स्तर की गारंटी देता है। महिलाएं, शहरी जनसंख्या, जनजाति क्षेत्र, प्रवासी समूह, वरिष्ठ नागरिक, निःशक्त व्यक्ति, निराश्रय जनसंख्या हमारे फोकस हैं।

सहभागिता

केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कल्याण, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन के एस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन एल एम ए), सार्वजनिक प्रसारक जैसे दूरदर्शन तथा आकाशवाणी, निजी मीडिया घरानों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) एवं गैर सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के माध्यम से हमारे प्रयास में प्रबलता आती है।

हस्तक्षेप

महिलाओं की सहभागिता

- ✓ महिलाओं की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मतदान केन्द्रों में बैठने की व्यवस्था की गई, टोकन प्रणाली तथा शौचालय उपलब्ध करवाए गये
- ✓ मास मीडिया में महिला केन्द्रित संदेश एवं प्रचार सामग्री बांटी गई
- ✓ मतदाता शिक्षा को एन एल एम ए की साझेदारी से तथा विशिष्ट मतदाता शिक्षाप्रद मनोरंजक सामग्री के माध्यम से जानकारी दी गई
- ✓ महिलाओं को शामिल करने के लिए महिला केन्द्रित प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, लोक कला एवं संगीत का आयोजन किया गया
- ✓ राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा मित्रों के माध्यम से घर-घर जाकर सूचना दी गई तथा प्रोत्साहित किया गया
- ✓ महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय चेहरे जैसे एम सी मैरी कॉम, सायना नेहवाल की राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्ति की गई

युवा एवं भावी निर्वाचकों के लिए

- ✓ छात्रों को फेसिलीटेट करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के कैम्पस एम्बैसेडर नियुक्त करना
- ✓ पंजीकरण फार्मों को कॉलेज प्रवेश फार्मों के साथ उपलब्ध करवाना
- ✓ पंजीकरण फार्मों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्राप बॉक्स लगवाना
- ✓ शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकरण तथा मॉक मतदान करवाना
- ✓ युवा तथा बच्चों को शिक्षित करने के लिए मतदाता शिक्षाप्रद मनोरंजक सामग्री – एनीमेशन फिल्मों, कार्टून स्ट्रिप्स, चित्र पुस्तिकाओं, कम्प्यूटर खेल, बोर्ड खेल
- ✓ नीतिपरक मतदान के विषय पर कहानियां तथा मताधिकार के महत्व को बच्चों की लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया
- ✓ मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचक साक्षरता को वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में शामिल करना

सर्वसमावेशन

- ✓ वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग कतारें, बैठने का प्रबंध, व्हील चेयरों, रैम्पों, मतदान केन्द्रों में सहायता, मतदान केन्द्रों पर पहुँचने के लिए वाहनों की सुविधा
- ✓ जनजाति समूहों एवं अन्य दुर्गम समुदायों को शामिल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी विशेष उपाय, पारस्परिक संवाद तथा मतदाता शिक्षा
- ✓ दुर्गम/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने के लिए विशेष उपाय, पारस्परिक संवाद, मतदाता शिक्षा तथा उनके नज़दीक मतदान केन्द्र
- ✓ प्रवासियों, विशेष रूप से श्रमिकों, तथा निराश्रित व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए विशिष्ट प्रयास, पंजीकरण हेतु विशेष अभियान तथा जागरूकता अभियान
- ✓ गांव के साप्ताहिक बाजारों, वन उत्पाद लघु संग्रहण केन्द्र में पंजीकरण काउन्टर
- ✓ मेले एवं त्योहारों में मतदाता सूचना तथा सुविधा का आयोजन
- ✓ गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वयन

सेवा कर्मियों के लिए

- ✓ पंजीकरणय क्षमता के विकास एवं जागरूकता के लिए सशस्त्र बलों में नोडल अधिकारी
- ✓ शिक्षा एवं जागरूकता के लिए सशस्त्र बलों के इन्टरनेट में मतदाता सूचना तथा मतदाता शिक्षा
- ✓ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समन्वय से विशेष शिविर
- ✓ वार्षिक दिवस के कार्यक्रमों तथा अन्य अवसरों पर निर्वाचक साक्षरता विषय शामिल करना
- ✓ सैनिकों तथा अधिकारियों के लिए निर्वाचक साक्षरता नियमित पाठ्यक्रमों में शामिल करना
- ✓ आंतरिक न्यूज लेटर तथा पत्रिकाओं में मतदाता सूचना
- ✓ विदेश में राजदूतवास एवं अधिकारियों को सेवा मताधिकारों पर जागरूक करना
- ✓ विदेश मंत्रालय के सभी प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों में डाक मतपत्रों/सेवा मतदाताओं पर निर्वाचक साक्षरता मॉड्यूल को शामिल करना
- ✓ यह सुनिश्चित करना कि विदेश में भारतीय मिशन अपने कर्मचारियों को सेवा मतदाताओं के रूप में प्रासंगिक फॉर्म उपलब्ध हों

सुविधाओं में वृद्धि

- ✓ मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं – प्रत्येक मतदान केन्द्र में रैम्प, शौचालय, बिजली, छाया एवं पीने का पानी
- ✓ आदर्श मतदान केन्द्र – प्रतीक्षा हॉल, चिकित्सा सेवा, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र
- ✓ सूचना एवं सेवाओं के लिए मतदाता सुविधा केन्द्र
- ✓ टोल-फ्री हेल्पलाइन ताकि लम्बी लाइनें न लगे
- ✓ मतदान दिवस से पहले प्रत्येक मतदाता के लिए उसके निवास स्थान पर मतदाता पर्ची का वितरण
- ✓ मतदान समय की अवधि बढ़ाना
- ✓ एस एम एस तथा रेडियो, टेलीविजन तथा संबोधन प्रणाली के माध्यम से मतदान दिवस के अनुस्मारक भेजना
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी देने हेतु कैम्प लगाना
- ✓ बैंकों और डाक घरों कॉलेजों इत्यादि सहित मुख्य स्थानों पर नामांकन फॉर्म उपलब्ध कराना

व्यापक जनचेतना

- ✓ **मतदान शपथ:** स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से माता-पिता के लिए संकल्प पत्र/वचन पत्र व शपथ ग्रहण समारोह, हस्ताक्षर अभियान, लोकतांत्रिक दीवार
- ✓ **मतदान के लिए निमंत्रण:** वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों से मत डालने के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र, समाचार पत्रों में निमंत्रण संदेश, त्योहारों के माध्यम से जुड़ना
- ✓ **कार्यक्रम:** मैराथन, मानव श्रृंखला, मानवीय रचनाएं, खेलकूद कार्यक्रम जैसे क्रिकेट मैच, कबड्डी मैच, नवीन क्रियाकलाप जैसे बाईक रैलियां, पतंग उड़ान, लेजर लाइट शो
- ✓ **प्रतियोगिता:** ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करके लोक कला जैसी प्रतियोगिताएं, संगीत समारोह, वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन

चित्र पुस्तिका गर्व से बने मतदाता



आई सी टी और सोशल मीडिया के प्रयोग में वृद्धि

- ✓ प्रमाणीकरण, शुद्धिकरण, पंजीकरण सुविधा के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
- ✓ इंटरैक्टिव मतदाता वेबसाइट और स्वीप पोर्टल
- ✓ मतदाता सूची में नाम ढूंढने के लिए सुविधा – वेबसाइट, एस एम एस, हेल्पलाईन, इंटरनेट पर मतदान केन्द्र का पता लगाना
- ✓ निर्वाचनों और लोकतंत्र विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता
- ✓ सोशल मीडिया और नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और ट्वीटर के माध्यम से पारस्परिक वार्तालाप एवं सूचना
- ✓ निर्वाचनों एवं मतदान के लिए समर्पित यू ट्यूब चैनल

पारस्परिक ज्ञान विनिमय

- ✓ सिविल सोसाइटी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श
- ✓ ज्ञान को साझा करने के लिए विश्व में अन्य निर्वाचन प्रबन्धन निकायों के साथ कार्यशालाएं
- ✓ सर्वोत्तम पद्धतियों के ज्ञान एवं आदान-प्रदान के लिए निर्वाचन तंत्र के कार्यकर्ताओं के साथ पुनरीक्षा बैठक एवं गोष्ठी
- ✓ पारस्परिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

वर्ली लोक चित्रकला पर आधारित मतदाता शिक्षा लघु फिल्म, गुजरात




सफलता का आंकलन


निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की रुचि, जागरूकता और सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि के अतिरिक्त, हमने पिछले लोक सभा निर्वाचन 2014 में 66.44 प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्राप्त किया। वर्ष 2014 में निर्वाचकों की संख्या 83.4 करोड़ रही जो वर्ष 2009 की तुलना में लगभग 117 करोड़ अधिक रही, जबकि मतदान में लिंग अन्तराल 2009 की तुलना में 4.42 से घट कर 1.55 हो गया। इसके अतिरिक्त 16 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी अधिक महिला मतदान रिकॉर्ड किया गया और इनमें से नौ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लोक सभा निर्वाचन में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से आगे रहीं।

लोक सभा निर्वाचन 2014 के बाद होने वाले विधानसभा निर्वाचनों में भी लोगों की सहभागिता और मतदान में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गयी।


राष्ट्रीय चुनावों में मतदान में लिंग अन्तराल (%)



लोकसभा चुनावों में मतदान (%)



कुछ रोचक आंकड़े



* 30 जुलाई 2015 को



हम सिविल सोसाइटी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और कॉरपोरेट से अधिक सहभागिता तथा व्यक्तियों से प्रश्नों, सुझावों और सहभागिता की आशा करते हैं।



भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23717391-98 Ext. 283, 314, 436

www.ecisveep.nic.in